प्रेषक,

प्रमुख सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग,
लखनऊ।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / NTCP-Meeting / 2023–24 / TC-7E 2236 दिनांक 08-06-2023

विषयः–सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 का अनुपालन एवं तम्बाकू नियंत्रण सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को **"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस"** के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–31 मई, 2022", **"We Need Food, Not Tobacco"** थीम पर जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू से होने वाली हानियों / दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों / युवाओं इत्यादि को जागरूक किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप तम्बाकू नियंत्रण में सहयोग प्रदान करते हुए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 की विभिन्न प्राविधानों / धाराओं का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने हेतु अपने अधीन कार्यरत विभागाध्यक्षों को निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें–

1–सभी परिवहन स्थल / परिवहन कार्यालय को तम्बाकू निषेध जोन घोषित करने और साइनेज इत्यादि लगवाये जाने हेतु कार्यवाही की जाए।

2–बस तथा अन्य परिवहन सुविधाओं में तम्बाकू उपभोग / धूम्रपान निषेध क्षेत्र–यहां धूम्रपान / तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करना एक दण्डनीय अपराध है, उक्त गतिविधि से सम्बन्धित स्टीकर / पोस्टर बसों एवं अन्य परिवहन सम्बन्धी साधनों में चस्पा कराया जाये।

3–बस पर तम्बाकू अथवा पान–मसाले का विज्ञापन न हो, जिन बसों पर इनके विज्ञापन है, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटवाये जाने हेतु कार्यवाही की जाए।

4–सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) Cigarette And other Tobacco product Act (COTPA)–2003 एवं उसके क्रियान्वयन पर परिवहन विभाग एवं उसके विभिन्न परिवहन संघ के अधिकारीगण एवं सदस्यों का राज्य स्तरीय संवेदीकरण किया जाए।

5–समस्त परिवहन के कार्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु "यलो लाइन कैम्पन" के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से सम्बन्धित परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सके।

6–सरकार द्वारा तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने एवं समर्थन करने के लिए **mCessation** गतिविधि के अर्न्तगत टोल फ्री न0 1800–112–356 (कॉल) एवं 011–22901701 (मिस कॉल) को जारी किया गया है। जिसे विज्ञापन के माध्यम से सम्मिलित कर प्रदर्शित किया जाना है।

भवदीय

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / NTCP-Meeting / 2023–24 / TC-7E तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त, परिवहन निगम, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

प्रमुख सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग,
लखनऊ।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / NTCP-Meeting / 2023–24 / TC-7E दिनांक 08-06-2023

विषयः–सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 का अनुपालन एवं तम्बाकू नियंत्रण सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को **"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस"** के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–31 मई, 2022", **"We Need Food, Not Tobacco"** थीम पर जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू से होने वाली हानियों / दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों / युवाओं इत्यादि को जागरूक किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप तम्बाकू नियंत्रण में सहयोग प्रदान करते हुए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 की विभिन्न प्राविधानों / धाराओं का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने हेतु अपने अधीन कार्यरत विभागाध्यक्षों को निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें–

1–सभी परिवहन स्थल / परिवहन कार्यालय को तम्बाकू निषेध जोन घोषित करने और साइनेज इत्यादि लगवाये जाने हेतु कार्यवाही की जाए।

2–बस तथा अन्य परिवहन सुविधाओं में तम्बाकू उपभोग / धूम्रपान निषेध क्षेत्र–यहां धूम्रपान / तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करना एक दण्डनीय अपराध है, उक्त गतिविधि से सम्बन्धित स्टीकर / पोस्टर बसों एवं अन्य परिवहन सम्बन्धी साधनों में चस्पा कराया जाये।

3–बस पर तम्बाकू अथवा पान–मसाले का विज्ञापन न हो, जिन बसों पर इनके विज्ञापन है, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटवाये जाने हेतु कार्यवाही की जाए।

4–सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) Cigarette And other Tobacco product Act (COTPA)–2003 एवं उसके क्रियान्वयन पर परिवहन विभाग एवं उसके विभिन्न परिवहन संघ के अधिकारीगण एवं सदस्यों का राज्य स्तरीय संवेदीकरण किया जाए।

5–समस्त परिवहन के कार्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु "यलो लाइन कैम्पन" के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से सम्बन्धित परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सके।

6–सरकार द्वारा तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने एवं समर्थन करने के लिए mCessation गतिविधि के अन्तर्गत टोल फ्री न0 1800–112–356 (कॉल) एवं 011–22901701 (मिस कॉल) को जारी किया गया है। जिसे विज्ञापन के माध्यम से सम्मिलित कर प्रदर्शित किया जाना है।

भवदीय

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एन0सी0डी0 / NTCP-Meeting / 2023–24 / TC-7E / 2236-3 तद्दिनांक

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ</u> एवं <u>आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. आयुक्त, राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त, परिवहन निगम, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव

Scanned with OKEN Scanner